प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 29.04.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 265/26 धारा 191(2)/191(3) /131/103(1)/118(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्ता सहित अन्य 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक लोहे की रॉड व एक बलकटी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28-04-2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी अमित पुत्र लालचन्द निवासी ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. अनुज, 2. राधे, 3. राजेश पुत्रगण जगबीर, 4. जगबीर पुत्र भौरे, 5. 01 महिला निवासीगण ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वादी के भाई को जबरन उठाकर अपने पास मौजूद लोहे के धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। वादी द्वारा अपने भाई को बचाने हेतु मौके पर पहुंचने पर अभियुक्तों द्वारा वादी के साथ भी मारपीट की गई तथा उसके सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया। साथ ही वादी के अन्य परिजनों के साथ भी मारपीट कर उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाई गईं। घटना में वादी का भाई मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस सम्बन्ध

में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 265/26 धारा 191(2)/191(3)/131/103(1)118(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 265/2026 धारा 191(2)/191(3)/131/103(1)118(1) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्ता सहित अन्य 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक लोहे की रॉड व एक बलकटी बरामद हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-अनुज पुत्र जगबीर निवासी ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-राजेश पुत्र जगबीर निवासी ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-जगबीर पुत्र भौरे निवासी ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4- 01 महिला।

बरामदगी का विवरण –

- घटना में प्रयुक्त एक लोहे की रॉड व एक बलकटी।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1- व0उ0नि0 श्री रजनीश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2- उ0नि0 महेन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3- का0 सन्दीप कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना रमाला **दिनाँक 29.04.2026**

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 71/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित 25 हजार के ईनामिया 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 71/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में वांछित चल रहे 25 हजार के ईनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियुक्त अमित की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 25 हजार का ईनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अमित पुत्र सुरेशपाल निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत
हाल पता भजनापुरा थाना भजनापुरा दिल्ली।

गिरफ्तार अभियुक्त अमित का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 201/2011 धारा 147/148/149/307/420/120बी भादवि थाना रमाला जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 314/2011 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना रमाला जनपद बागपत।

3-मु0अ0सं0 301/24 धारा 109/115(2)/308(5)/351(2)/352/61(2) बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-उ0नि0 श्री सनव्वर अली थाना रमाला।

2-उ0नि0 श्री प्रियांशु देशवाल थाना रमाला।

3-उ0नि0 श्री पुष्पराज थाना रमाला।

4-उ0नि0 श्री सन्नी चौधरी थाना रमाला।

5-है0का0 60 पंकज कुमार थाना रमाला।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली दिनाँक 29.04.2026

थाना छपरौली पर आबकारी अधिनियम के कुल 13 अभियोग में लगभग 150 लीटर अवैध देशी शराब को नष्ट किये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यवाही-

दिनांक 29.04.2026 को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार थाना छपरौली पर वर्ष-2026 के आबकारी अधिनियम के कुल 13 अभियोग में लगभग 150 लीटर अवैध शराब को प्रभारी निरीक्षक थाना छपरौली व आबकारी निरीक्षक क्षेत्र-2 बडौत की उपस्थिति में नष्ट किया गया।